बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल भवन, 34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना–800001

Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994 (Email=bsmfclpatna-bih@gov.in) (website:www.bsmfc.org)

(CIN No.-U65110BR 1984SGC 001964)

अत्यावश्यक सूचना

प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अन्तर्गत योजना वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 के लिए चयनित आवेदकों को सूचित किया जाता है कि जिनके द्वारा अभी तक ऋण प्राप्त करने हेतु एकरारनामा नहीं किया गया है वे दिनांक-23.05.2022 तक संबंधित जिला के अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी / सहायक निदेशक के कार्यालय में एकरारनामा कराना सुनिश्चित करें । दिनांक-23.05.2022 तक एकरारनामा नहीं कराने की स्थिति में आपका चयन रद्द करते हुए आपका ऋण प्राप्ति हेतु दावा समाप्त कर दिया जायेगा ।

एकरारनामा हेतु अपने जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी / सहायक निदेशक से सम्पर्क स्थापित कर निम्नांकित कागजात एवं गारेन्टर के साथ उपस्थित हों:–

आवेदक का आवश्यक कागजात / दस्तावेज:–

- आधार लिंक्ड बैंक पास बुक की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति ।
- 20 अदद पोस्ट डेटेड चेक ।
- आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति ।
- आवेदक का दो अदद रंगीन पास्टपोर्ट साइज फोटो ।
- निवास एवं आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति ।

गारेन्टर कौन-कौन हो सकते हैं:–

1. **एक लाख (100000) रुपये तक की ऋण राशि के लिए** : ऋणधारक द्वारा स्वयं की गारन्टी, किसी ऐसे व्यक्ति की गारन्टी जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद/लगान रसीद हो ।
2. **1,00,001 रुपये से 5 लाख तक (इनमें से कोई एक)** : सरकारी कर्मी/अर्द्ध सरकारी कर्मी/बैंक कर्मी/स्वायत निकाय के कर्मी/आंगनबाड़ी कर्मी/पंजीकृत मदरसों के शिक्षक/नियोजित शिक्षक (जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष शेष हो)/पंजीकृत वक्फ के मोतवल्ली/आयकर दाता की व्यक्तिगत गारन्टी/ऋण राशि के समतुल्य अचल सम्पत्ति का बन्धेज (Equitable Mortgage) के साथ गारंटी बॉण्ड निष्पादित कराना होगा।

गारेन्टर का वांछित कागजात :–

(क) एक लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए :

- गारेन्टर का आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति ।
- गारेन्टर का एक रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो
- गारेन्टर अथवा माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद/लगान रसीद/जमीन का मालगुजारी अद्यतन मूल रसीद।

IE:\SHAHID\2022-23\Suchna Sivir

(ख) 1,00,001 रुपये से 5 लाख तक (इनमें से कोई एक) :

- गारेन्टर का ऑफिस आई. डी. एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति (मूल प्रति भी साथ लायेंगे)
- गारेन्टर का अद्यतन वेतन विवरणी मूल तथा जिसमें सेवा निवृत्ति की तिथि अंकित हो ।
- गारेन्टर का सेवा पुस्तिका की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति ।
- गारेन्टर का एक रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो ।
- आयकर दाता की व्यक्तिगत गारंटी हेतु PAN कार्ड, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति एवं ITR अद्यतन 2 साल की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति "ITR शून्य न हो" (मूल प्रति भी साथ लायेंगे) ।

ह0/-

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक-1336 दिनांक-29/4/2022

प्रतिलिपि:-आई॰ टी॰ मैनेजर, निगम कार्यालय को सूचनार्थ एवं आदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना को निगम के Website पर अप-लोड करके अधोहस्ताक्षरी को संसूचित करें ।

29/4/22

प्रबन्ध निदेशक

2E:\SHAHID\2022-23\Suchna Sivir